राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5)विभाग

स्मरण पत्र–1
अति–आवश्यक

क्रमांकः प.13(11)साप्र/5/2013 जयपुर, दिनांकः 8-1-2014

प्रभारी अधिकारी एवं प्रबंधक,
विश्राम भवन,........................।

विषयः– लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3922 द्वारा श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गॉधी, माननीय लोकसभा सदस्य।
संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3922 द्वारा श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गॉधी, माननीय लोकसभा सदस्य में बिन्दू संख्या (ख),(ग) एवं (घ) के संबंध में सूचना शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा गया था परन्तु आदिनांक तक आप की सूचना इस विभाग को भिजवाया जाना अपेक्षित है। अतः शीघ्रातिशीघ्र वांछित सूचना इस विभाग को भिवाजने का श्रम करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

संलग्न :– प्रश्न की प्रति

भवदीय,

8/1/14
(मुन्ना लाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव

S.No (R) 1

1

AS(5)

सामान्य प्रशासन (ग्रु-5) विभाग
राजस्थान, जयपुर
संख्या 264406
दिनांक 21-10-13

18/10/13

6
21/10/2013

लोक सभा प्रश्न
आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.17(5)न्याय / 2013

जयपुर, दिनांक 17 OCT 2013

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषय :– लोक सभा अतांराकित प्रश्न संख्या 3922 द्वारा श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी, माननीय सांसद के प्रश्न के संबंध में वांछित सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ :– असिस्टेन्ट लेजिस्लेटिव कौंसिल विधायी विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का पत्रांक 21(3) / 2013 – legIII दिनांक 10.09.2013।

17/10

GAD 263887/13
18/10/13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र मय लोक सभा अतांराकित प्रश्न संख्या 3922 द्वारा श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी, माननीय सांसद के प्रश्न की छाया प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त लोक सभा प्रश्न के बिन्दू संख्या (ख), (ग), एवं (घ) के संबंध में वांछित सूचना अपने अधीनस्थ विभागों से प्राप्त कर, संकलित सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें जिससे भारत सरकार को अवगत कराया जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

17/10/13

उप शासन सचिव

Lokendar Singh/Letter/Law/1032/636

Most Immediate
Parliament Assurance

No.21 (3)/2013-Leg.III
Government of India
Ministry of law and Justice
Legislative Department

Dated the 10th September, 2013
Shastri Bhawan, New Delhi

To,
Shri C.K. Mathew,
Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Secrtariat,
Jaipur- 302 001.
Rajasthan.

Subject:-Lok Sabha Unstarred Question No. 3922 for answer on 21.03.2013 regarding Civil Procedure Code asked by Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, M.P.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated the 18th June, 2013 forwarding therewith a copy of Rajya Sabha Unstarred Question No.3922 and assurance given to the said question on 21.03.2013 regarding Civil Procedure Code, asked by Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, M.P with a request to provide necessary inputs to fulfill the said assurance. The information is still awaited from your Sate/Union territory. It is, therefore, requested that the information in reply to parts (b) to (d) of the question may please be furnished to this Department at the earliest, so that the assurance could be fulfilled.

2. This may be given top priority.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Y. Srinivasa Rao)
Assistant Legislative Counsel
Tel.No. 23074189
Fax No. 23382923

248/SSL/URV/13
26-9-13

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3922
जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है

सिविल प्रक्रिया संहिता

3922. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का क्या उद्देश्य है ;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को कितने नोटिस प्राप्त हुए हैं ;

(ग) नोटिस प्राप्त होने के बाद कितने मामलों का निपटान किया गया तथा नोटिस प्राप्त होने के बाद कितने मामलों को न्यायालय में दाखिल किया गया है ; और

(घ) कितने मामलों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार पक्षकार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री (डा. अश्वनी कुमार)

(क) : सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का उद्देश्य सरकार अथवा किसी लोक अधिकारी को, उसके द्वारा वादी को दावाकृत अनुतोष प्रदान करने अथवा वाद में प्रतिवाद करने के लिए विचार करने का अवसर देना है ।

(ख) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।